

## हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी Board of School Education Harvana, Bhiwani

(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969)

## प्रैस नोट

No.-BSEH/06/Sec/2024

Date-27-09-2024 Notification No.-06 /2024

विषय:—सैकेण्डरी/सी०सै० (कम्पार्टमैंट (EIOP)/पूर्ण विषय अंक सुधार/आंशिक अंक सुधार/अतिरिक्त विषय/Additional Qualified) पूरक परीक्षा अक्तूबर—2024 हेतु स्वंयपाठी परीक्षार्थियों के प्रवेश—पत्र जारी करने बारे।

सैकेण्डरी/सी०सै० (कम्पार्टमैंट (EIOP)/पूर्ण विषय अंक सुधार/आंशिक अंक सुधार/अतिरिक्त विषय/Additional Qualified) पूरक परीक्षा अक्तूबर—2024 हेतु स्वंयपाठी परीक्षार्थियों के प्रवेश—पत्र दिनांक 01.10.2024 से बोर्ड वैबसाईट पर जारी कर दिये गए है। स्वंयपाठी परीक्षार्थी अपना प्रवेश—पत्र बोर्ड की वैबसाईट पर दिए गए लिंक से पिछला अनुक्रमांक/नाम, पिता का नाम, माता का नाम भरते हुए डाउनलोड कर सकते है।

परीक्षार्थी द्वारा ए—4 साईज पेपर पर रंगीन प्रवेश—पत्र डाउनलोड किया जाना आवश्यक है। प्रवेश—पत्र का रंगीन प्रिंट लेने उपरांत विवरण भलीभांति जांच लें। यदि विवरणों में कोई भी तुटि है तो परीक्षाएं आरम्भ होने से पूर्व बोर्ड कार्यालय में सम्पर्क करते हुए विवरण में शुद्धि करवा लें, बाद में कोई तुटि ठीक करवाने बारे दिये गए प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि किसी परीक्षार्थी का अनुक्रमांक किसी कारण से रोका गया है, तो वे परीक्षार्थी किसी भी कार्यदिवस में बोर्ड कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर वांछित दस्तावेज उपलब्ध करवाते हुए अपना प्रवेश—पत्र जारी करवा सकते है। दिव्यांग परीक्षार्थी द्वारा बोर्ड कार्यालय/परीक्षा केन्द्र पर आवश्यक दस्तावेज जमा करवाते हुए परीक्षा से पहले लेखक की अनुमति लेना अनिवार्य है। लेखक से सम्बन्धित दस्तावेज बोर्ड कार्यालय में ई0मेल से या दस्ती जमा करवाने होंगें।

इस सन्दर्भ में किसी प्रकार की कठिनाई आने पर बोर्ड वैबसाईट पर जारी हैल्पलाईन नम्बर 01664—254309/ई0मेल आई0डी0 सैकेण्डरी <u>assec@bseh.org.in</u> सीनियर सैकेण्डरी <u>assrs@bseh.org.in</u> पर सम्पर्क करते हुए समाधान करवाना सुनिश्चित करें।

अन्य दिशा-निर्देश निम्न प्रकार से हैं इनकी दृढता से पालना की जाए:-

- 1. परीक्षा केन्द्र परिवर्तन की अनुमति नहीं है।
- 2. परीक्षार्थी अपने प्रवेश—पत्र पर पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो जो आवेदन करते समय स्कैन किया गया था उसे चिपकाकर, फोटो तथा प्रवेश—पत्र को किसी सरकारी/गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्राचार्य/मुख्याध्यापक या किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमित नहीं होगी।
- 3. परीक्षार्थी का परीक्षा आरम्भ होने से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुँचना अनिवार्य है।
- 4. प्रवेश—पत्र को लेमिनेशन न करवाएं क्योंकि प्रवेश—पत्र पर तिथि अनुसार परीक्षार्थी एवं पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होने अनिवार्य है।
- 5. परीक्षा केन्द्र पर मूल पहचान-पत्र (आधार कार्ड आदि) साथ लेकर आएं।
- 6. परीक्षार्थी अपने आई०डी० कार्ड / मूल आधार कार्ड सिहत परीक्षा केन्द्र पर आएंगे। प्रत्येक परीक्षार्थी आधार कार्ड को वर्तमान अनुसार अपडेट करवाना सुनिश्चित करें। बिना Updation के परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमित नहीं होगी, जिसके लिए परीक्षार्थी स्वंय जिम्मेवार होगा।
- 7. परीक्षा केन्द्र में इलैक्ट्रोनिक सामान जैसे:- Smart Watch, मोबाईल, कैलकुलेटर आदि का उपयोग वर्जित है।
- 8. किसी अन्य/दूसरे के स्थान पर परीक्षा में प्रविष्ट होना/परीक्षा देना एक दण्डनीय अपराध है, जिसमें परीक्षार्थी के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करवाई जाएगी।
- 9. प्रश्न-पत्र पर वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तरों पर किसी प्रकार का निशान ना लगाएं अन्यथा UMC दर्ज किया जाएगा।

–हस्ता– अध्यक्ष







